न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 25 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 14.03.2022

शकंर पुत्र छीतर जाति प्रजापत निवासी गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला–टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार पीपलू दिनांक 09.02.2022 मिसल नम्बर 497 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 28.04.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2022 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 168 / 1 रकबा 3 बिस्वा किस्म बारानी–2 वाके ग्राम गहलोद तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 7 / रू. पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक रूप से [illegible] किया गया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है, पटवारी हल्का ने अपीलांट का कब्जा गलत दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:14:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

किया है। अपीलांट ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 168/1 रकबा 3 बिस्वा किस्म बारानी–2 वाके ग्राम गहलोद तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर पक्का बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 30 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 507 निर्णय दिनांक 23.01.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की पुत्री से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 168/1 रकबा 3 बिस्वा किस्म बारानी–2 वाके ग्राम गहलोद तहसील पीपलू पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर पक्का बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.03.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि से अपना कब्जा छोड दिया है तथा ना ही अब मै भविष्य मे कब्जा करूंगा और ना ही उक्त भूमि के बारे मे किसी तरह का कोई क्लेम करूंगा। अपीलांट द्वारा अपील मीमो मे स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पर से पूर्व मे कभी भी वास्तविक रूप से बेदखल नही किया गया है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 507 निर्णय दिनांक 23.01.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 09.02.2022 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:14:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)